

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर

जलास-मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

प्रभु सिंह

बनाम

सरकार

अप्रार्थी

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 70 / 2024

--:आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी

प्रभु सिंह

पुत्र श्री

देवी सिंह 1/7/22

जाति

राव

निवासी

रुन्काड़िया

तहसील

बिलाड़ा

जिला

जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम रुन्काड़िया की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 के खाता सं 85 में दर्ज अशुद्ध नाम प्रभु सिंह पुत्र देवी सिंह जाति राव निवासी रुन्काड़िया का शुद्ध नाम प्रभु सिंह पुत्र देवी सिंह जाति राव निवासी रुन्काड़िया की राजस्व रेकर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जाँच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दपतर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा